रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256438
CG-DL-E-16082024-256438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3178]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946
No. 3178]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3494(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5030(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2023 द्वारा तारीख 25 नवम्बर, 2023 से छह माह की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोग उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं किया जा सकता था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है, भू-मार्ग या

जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाओं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3494(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25^{th} November, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 5030(E), dated the 23^{rd} November, 2023;

AND WHEREAS the said declaration could not be extended at any one time;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that public interest requires that the said industry is declared public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services engaged in the industry of transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in Official Gazette..

[F.No. S-11017 / 1 / 2009- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.16 19:43:48 +05'30'